प्रेस रिलीज़: ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय बिहार द्वारा **SPREE 2025** योजना पर सेमनार का आयोजन

पटना, बिहार **- 25** जुलाई **2025**

ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार द्वारा बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री में ईएसआईसी हाल ही में लांच **SPREE 2025 (Scheme to Promote Registration of Employers/Employees)** योजना के वषय में एक सेमनार का आयोजन कया। यह सेमनार ईएसआईसी के बीमा आयुक्त श्री प्रणय सन्हा की अध्यक्षता में आयोजित कया गया। जिसमें बिहार क्षेत्र के बड़े नियोक्ता व औधोगक संस्थान के प्रतिनिध शामल हुए ।

SPREE (नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना**)** ईएसआईसी द्वारा शुरू की गई एक वशेष पहल है, जो **1** जुलाई से **31** दिसंबर **2025** तक नियोक्ताओं को उनकी फैक्ट्री/प्रतिष्ठानों और सभी पात्र कर्मचारियों को बिना पछले अवध के बकाया की मांग के पंजीकृत करने के लए अवसर प्रदान करती है ।

इस योजना के तहत पंजीकरण करने पर पूर्व अवध के लए कसी भी बकाया राश की मांग या जांच जांच नहीं की जाएगी। यह योजना उन अपंजीकृत संस्थानों/नियोक्ताओं के लए वशेष रूप से लाभकारी है, जिनके पास **10** या अधक कर्मचारी हैं, जैसे क दुकानें, होटल, रेस्तरां, सनेमा हॉल, सड़क परिवहन प्रतिष्ठान, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चकत्सा संस्थान, शैक्षणक संस्थान, और नगर निगमों के संवदा/अस्थायी कर्मचारी।

- इस योजना के तहत कर्मचारी द्वारा घोषत पंजीकरण तिथ से पहले की अवध के लए कोई रिकॉर्ड जांच या बकाया की मांग नहीं की जायेगी
- पछली अवध के लए कोई अंशदान भुगतान का दायित्व नहीं होगा।
- पछले गैर-पंजीकरण के लए कोई कार्रवाई नहीं होगी।

सेमनार में श्री प्रणय सन्हा, बीमा आयुक्त ने बताया क **SPREE 2025** के तहत पंजीकृत नियोक्ताओं को पूर्व अवध के लए कोई योगदान देयता या निरीक्षण का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, पंजीकृत कर्मचारियों को पंजीकरण की तारीख से चकत्सा देखभाल, बीमारी, मातृत्व, चोट, चोट, या रोजगार से संबंधत मृत्यु के मामलों में नकद लाभ और ईएसआई अधनियम, **1948** के तहत दीर्घका लक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

सेमनार में उपस्थित नियोक्ताओं से यह भी चर्चा की गई कईएसआईसी द्वारा **1** अक्टूबर **2025** से एमनेस्टी स्कीम लागू की जाएगी । इस स्कीम का उद्देश्य लंबित ववादों को हल करना और बोझ को कम करना है। इसके तहत नियोक्ताओं के खलाफ दर्ज मुकदमों और न्यायालयों में लंबित मामलों को वापस लेने और त्वरित समाधान का अवसर प्रदान कया जाएगा, वशेष रूप से उन मामलों में जहां बकाया राश का भुगतान हो चुका हो। क्षेत्रीय निदेशकों को उन मामलों को वापस लेने का अधकार दिया गया है जहां बकाया राश का निपटान हो चुका है।

बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के अध्यक्ष 'श्री सुरेश पटवारी' ने इस योजना को व्यवसायों के लए एक सुनहरा अवसर बताया, जो न केवल सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है, बल्कि व्यवसाय करने की सुगमता **(Ease of Doing Business)** के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी समर्थन करता है। उन्होंने नियोक्ताओं से आग्रह कया क वे इस योजना और एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठाने के लए तुरंत पंजीकरण कराएं।

पंजीकरण प्रक्रया:

नियोक्ता निम्न लखत के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं:

- श्रम सुवधा पोर्टल: https://registration.shramsuvidha.gov.in
- ईएसआईसी पोर्टल: https://www.esic.gov.in
- या **MCA** पोर्टल के माध्यम से

सेमनार में ईएसआईसी के उप निदेशक श्री राकेश रंजन तिवारी सहित अन्य अधकारी और कर्मचारी भी शामल रहे।